तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4113/2006/भीलवाड़ा** **राजस्थान सरकार बनाम खाना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए

एकलपीठ

श्री भवानी सिंह पालावत, सदस्य

उपस्थित :

श्री जानी सिंह, उप राजकीय अधिवक्ता।

अधिवक्ता अप्रार्थी व अप्रार्थीगण बावजूद सूचना अनुपस्थित।

——

आदेश

दिनांकः— 12.05.2026

यह रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के अन्तर्गत न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा ने अपने निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 25.02.2002 द्वारा मंडल को प्रेषित किया है।

रेफरेन्स प्रकरण के सुसंगत तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि तहसीलदार, कोटड़ी ने प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 82 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम पारोली तहसील कोटड़ी में स्थित साबिक बंदोबस्त् आराजी संख्या 3566/2 रकबा 0.02 है0, 3566/3 रकबा 0.08 है0 कुल रकबा 0.10 है0 जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में श्री शीतला माताजी स्थान देह शीक्मी काना पि0 उदा कुम्हार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज थी। नवीन बंदोबस्त् जमाबंदी संवत् 2022 से 2025 में उक्त आराजी के नवीन खसरा संख्या 2270 रकबा 0.12 है0 कायम करते हुए बंदोबस्त् विभाग ने उक्त आराजी को अप्रार्थी गंगाराम पि0 काना कुम्हार के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर दिया गया, जो अवैध है। चूंकि ऐसी आराजी शाश्वत नाबालिग होती है। इस प्रकार मंदिर मूर्ति की भूमि का नियम विपरीत हस्तांतरण हुआ है, जिसे हटा कर वापिस खातेदारी मंदिर मूर्ति श्री शीतला माता जी स्थान पारोली के नाम दर्ज करने का आदेश प्रदान करें। न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाडा ने अपने निर्णय दिनांक 25.02.2002 को प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर हस्तगत रेफरेंस प्रकरण माननीय मण्डल को प्रेषित किया है ।

विद्वान उप राजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस रेफरेंस प्रार्थना पत्र पर सुनी गई ।

विद्वान उप राजकीय अभिभाषक ने बहस करते हुये अभिकथन किया कि जमाबंदी संवत् 2014 से 2017 में अंकित आराजी खसरा संख्या 3566/2, 3566/3 जो शीतला माताजी स्थान देह के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज की हुई है, जिसको भू–प्रबंध विभाग द्वारा अपने बंदोबस्त् कार्य के दौरान गत खसरा संख्या 3566/2, 3566/3 के नवीन खसरा

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4113/2006/भीलवाड़ा** **राजस्थान सरकार बनाम खाना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	संख्या 2270 रकबा 0.12 है0 कायम कर श्री शीतला माताजी स्थान देह के बजाय बिना किसी आधार के विपक्षीगण के नाम अभिलिखित कर दिया है, जबकि भू–प्रबंध विभाग को इस प्रकार के परिवर्तन करने का कोई कानूनी अधिकार नहीं था। मंदिर मूर्ति को शाश्वत नाबालिग माना गया है और उसकी भूमि पर पुजारी या किसी अन्य को काश्त करने से कोई स्वत्व या अधिकार प्राप्त नहीं होते है। यदि इस प्रकार के अधिकार किसी व्यक्ति को प्राप्त हो भी गए है तो वह राज0काश्त0अधि0 1955 की धारा 46 के प्रावधानों के विपरीत है तथा प्रारंभ से ही प्रभाव शून्य है। चूंकि काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 46 में मंदिर को शाश्वत नाबालिग माना गया है। नाबालिग के हितों की रक्षा करना सरकार का दायित्व है। विपक्षीगण के खाते में नियमों के विरूद्ध मंदिर की भूमि को दर्ज किया गया है। अतः रेफरेंस स्वीकार किया जाकर भूमि को अप्रार्थीगण की निजी खातेदारी से हटा कर पुनः मूर्ति मंदिर श्री शीतला माताजी स्थान देह के खाते में दर्ज किए जाने के आदेश प्रदान करावें। हमनें विद्वान उपराजकीय अधिवक्ता की एकपक्षीय बहस पर मनन किया और अपर जिला कलेक्टर की पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात व निर्णय का आद्योपान्त अवलोकन व अध्ययन किया गया। प्रश्नगत प्रकरण में पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम पारोली तहसील कोटड़ी की खतौनी बंदोबस्त् जमाबंदी संवत् 2014–17 के अवलोकन से स्पष्ट है कि आराजी संख्या 3566/2 व 3566/3 कुल रकबा 0.10 है0 भूमि जो श्री शीतला माताजी स्थान देह के नाम राजस्व अभिलेख में अभिलिखित की हुई थी, जिसे बंदोबस्त् विभाग ने सेटलमेंट ऑपरेशन के समय नवीन आराजी संख्या 2270 रकबा 0.12 है0 कायम करते हुए अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज कर दी गई है। यह कार्यवाही नियम विरूद्ध बिना किसी आदेश के हुई है तथा वर्तमान में उक्त आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में दर्ज है, जो कि अवैध है। ऐसी आराजी को निजी व्यक्तियों की खातेदारी में अभिलिखित नहीं किया जा सकता है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग (Perpetual Minor) होती है तथा शाश्वत नाबालिग के हितों की रक्षा करना न्यायालय का दायित्व है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा 45 (4) व 46 ए के प्रावधानों के अनुसार नाबालिग की भूमि पर किसी भी व्यक्ति को चाहे वह पुजारी हो या अन्य व्यक्ति हो, खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते है क्योंकि मंदिर मूर्ति शाश्वत नाबालिग है। नाबालिग स्वंय काश्त करने में असमर्थ है, अतः उसके द्वारा अन्य व्यक्तियों को आराजी काश्त पर दी जा सकती है और यदि मंदिर मूर्ति की भूमि पर किसी अन्य को अधिकार किसी प्रकार से प्राप्त हो गये है तो वह प्रभाव शून्य माने जावेगें । अतः हस्तगत रेफरेंस स्वीकार किया जाकर विवादित भूमि बाबत् अप्रार्थीगण के नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज खातेदारी निरस्त किये जाने योग्य तथा विवादित भूमि पुनः मूर्ति मंदिर श्री शीतला माताजी स्थान देह की खातेदारी में दर्ज किया जाना उचित एवं विधिसम्मत् प्रतीत होता है। परिणामस्वरूप न्यायालय अपर जिला कलक्टर, भीलवाड़ा द्वारा अपने	

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज **रेफरेन्स /एल.आर/4113/2006/भीलवाड़ा** **राजस्थान सरकार बनाम खाना**	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	निर्णय एवं अभिशंषा दिनांक 25.02.2002 के क्रम में मण्डल के समक्ष प्रस्तुत यह रेफरेंस स्वीकार किया जाकर ग्राम पारोली तहसील कोटड़ी में स्थित आराजी खसरा संख्या 3566/2 व 3566/3 भूमि जिसके नवीन खसरा संख्या 2270 रकबा 0.12 है0 बने है का श्री शीतला माताजी स्थान देह की खातेदारी से हटाकर उक्त भूमि पर अप्रार्थीगण को दी गई खातेदारी एवं इसके पश्चात् स्वीकृत समस्त नामांतकरणों एवं राजस्व रिकार्ड में हुए समस्त इन्द्राजों को निरस्त किया जाता है तथा उक्त भूमि पुनः श्री शीतला माताजी स्थान पारोली की खातेदारी में दर्ज किए जाने के आदेश दिए जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद आवश्यक कार्यवाही दाखिल दफ्तर हो कर नंबर से कम हो। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया । **(भवानी सिंह पालावत)** **सदस्य**	